BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक 1003/डी दिनांक 03.12.2003 एवं पत्रांक 1781/डी दिनांक 03.11.2004 के द्वारा इकाई सर्वश्री इरीस इलेक्ट्रोनिक्स इन्डिया प्रा० लि० (M/s Iris Electronics India Pvt. Ltd.) को औद्योगिक क्षेत्र, पटना में क्रमशः प्लॉट संख्या– सिपेट द्वारा खाली की गयी भूमि (ब्लॉक 5) एवं 'ए' टाईप (ब्लॉक 5) कुल रकवा 15180 वर्गफीट (9720 + 5460 वर्गफीट) का आवंटन विभिन्न ब्रान्ड के टी.वी. सेट का एसेम्बलिंग हेतु किया गया। कार्यालय पत्रांक 3943/डी दिनांक 22.07.2008 के द्वारा इकाई को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सशर्त पुनर्बहाल की सूचना दी गयी। इकाई के निरीक्षण दिनांक 07.05.2011 एवं दिनांक 19.09.2011 के क्रम में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि होते नहीं पाई गई। कार्यालय ज्ञापांक 1563/डी दिनांक 15.03.2013 द्वारा सर्वश्री एलाईड माईनिंग इंजिनियरीग वर्क्स, औद्योगिक प्रांगण, पाटलीपुत्रा को आवंटित भू–खण्ड संख्या एन.एस. रकवा 7488 वर्गफीट भूमि को सर्वश्री आईरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड(M/s Iris Electronics India Pvt. Ltd.) के पक्ष में TV Set Assembling के उद्योग स्थापनार्थ हस्तानांतरण शर्तो के अधीन किया गया। इकाई के अनुरोध पर कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3188/डी दिनांक 19.07.2016 द्वारा इकाई के परियोजना TV Assembling से बदलकर आई.टी. पार्क के परियोजना हेतु स्वीकृति दी गयी। कार्यालय पत्रांक 2964/डी दिनांक 24.04.2019 के द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया। निरीक्षण दिनांक 17.05.2019 एवं दिनांक 21.11.2019 के क्रम में इकाई का निर्माण कार्य बंद पाया गया। आवंटित/हस्तानांतरित भूमि पर परियोजना स्थापित नहीं करने एवं बकाये भूगतान करने हेतु कार्यालय पत्रांक 1013/डी दिनांक 09.03.2020 द्वारा अंतिम नोटिस निर्गत किया गया। जिसका प्रतियुत्तर कार्यालय को अप्राप्त रहा। निरीक्षण दिनांक 27.05.2020 के क्रम में इकाई के परिसर में ताला लगा पाया गया। परिसर के गेट से देखने से प्रतीत होता है कि इकाई की स्थिति पूर्ववत् है। इकाई के परिसर का अधिकांश भू–भाग रिक्त है। परिसर में लगभग 25" X 40" का दो मंजिला भवन पूर्व से निर्मित है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्षो व्यतित होने बावजूद इकाई द्वारा परियोजना स्थापित नहीं किया जा सका है। जो प्राधिकार के आवंटन/हस्नानांतरण के शर्तो का उल्लंघन है।

अतः बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत प्राधिकार भूमि मद में जमा की गई राशि को जब्त करते हुए, इकाई सर्वश्री आईरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (M/s Iris Electronics India Pvt. Ltd.) की आवंटित/हस्तानांतरित भूमि कुल रकवा 22668 वर्गफीट में से Axis Bank, SME Centre, Patna के पास बंधक रकवा 15180 वर्गफीट को छोड़कर प्लॉट संख्या– एन.एस. शेष रकवा 7488 वर्गफीट भूमि का आवंटन रद्द की जाती है।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 29.05.2020

ह०/–
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांकः–1559/D **दिनांकः**–02/06/2020

प्रतिलिपिः– सर्वश्री आईरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा० लि०, शेड संख्या 5/1, 5/2 एवं एन.एस., औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना– 800013/क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन, ~~औद्योगिक क्षेत्र~~, पाटलीपुत्रा/~~आई०टी०~~ बियाडा, पटना/लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्र०नि० कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.06.20
कार्यकारी निदेशक।